अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

(दं0 प्र0 सं0 144 के तहत वाद सं0–164/2022)

किशोर यादव —बनाम्— मोहन यादव वगैरह

आदेश

06.08.22 थाना प्रभारी, जमुआ के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से अपने परदादा के खतियानी भूमि पर दखलकार रहने का तथ्य प्रस्तुत कर द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी कागजात के वादग्रस्त भूमि को जबरन दखल करने को प्रयासरत रहने का उल्लेख किया गया एवं कार्यवाही को न्यायहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत परिवर्त्तित करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से भूमि को बतौर खतियानी रैयत के वंशज एवं क्रेता नामांतरण तथा लगान के भुगतान सहित दखलकार रहने का उल्लेख कर खतियानी रैयत के एक वंशज द्वारा ही बार–बार अनावश्यक वाद लाये जाने का तथ्य प्रस्तुत कर बताया गया कि खतियानी रैयत के अन्य वंशज एवं द्वितीय पक्ष सं0–2 से 8 के विक्रेता द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई आपत्ति नही किये जाने के बावजूद आंशिक भूमि के उत्तराधिकारी प्रथम पक्ष द्वारा अनावश्यक अवरोध उत्पन्न किये जाने की स्थिति में जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त वास्तविक हिस्सेदारी एंव दखल संबंधी विवाद वाले इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

Sd/- 06/08/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

लेखापित एवं संशोधित

Sd/- 06/08/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.06.13 20:46:46+05:30
Location: 192.168.1.5

Scanned with CamScanner